5.822 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित, उभयपक्षो ने बहस करनी चाही, बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A के तहत अपनी खातेदारी आराजी सं. 152 रकबा 0.8220 हैक्टेयर भूमि ग्राम भगवानपुरा परवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल मे स्थित है, उक्त भूमि मे आवागमन एंव कृषि यन्त्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी सं. 75 रकबा 1.0623 हैक्टेयर बंजड विलानाम भूमि मे से पश्चिमी मेड के सहारे-सहारे प्रार्थी की आराजी संख्या 152 तक 30 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एंव तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत;

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम भगवानपुरा परवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल मे स्थित आराजी सं. 152 रकबा 0.8220 हैक्टेयर भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी सं. 75 रकबा 1.0623 हैक्टेयर बंजड विलानाम सरकारी भूमि मे से पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे 16 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की आराजी सं. 152 तक दिये जाने का आडेश दिया जाता है. 16 फीट चौड़ाई के रास्ते के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की उबल राशि

नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी को भुगतान करे। अप्रार्थी थानि किलानाम सरकारी भूमि रास्ते मे आनी वाली भूमि को राजस्व रेकॉर्ड मे से कम की जाकर भूमि को राजस्व रेकॉर्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे, पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा